प्रेषक,

निदेशक ,
पंचायती राज
उ0प्र0।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
(3) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
(4) समस्त अपर मुख्य अधिकारी उ0प्र0।

संख्याः—4/2455/2015—4/440/2015—16 लखनऊः: दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

विषयः— राजीव गॉधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार वर्ष 2015—16 हेतु पंचायती राज की ऑन लाइन वेब—पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तथा जिला पंचायत की प्रश्नावलियों को भरने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, 11 वी मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0 जी0 मार्ग, नई दिल्ली के अर्द्वशासकीय पत्र संख्याः—एन0—11019/811/2015—प्लानिंग, दिनांक 04.09.2015 के क्रम में, शासन के शासनादेश संख्याः—2931/33—3/2015—153/2015 दिनांकः 30.10.2015 द्वारा राजीव गॉधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, 2015—16 हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतो के वर्ष 2014—15 के उत्कृष्ट कार्यो के आधार पर नामांकन प्रस्ताव हेतु 100 अंकों वाली प्रश्नावलियॉ व इसके अतिरिक्त जिन पंचायतों द्वारा वर्ष 2014—15 में किसी एक विषय जैसे—साफ—सफाई, नागरिक सेवाये, राजस्व को बढावा, सामाजिक क्षेत्र में प्रदर्शन (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/महिलाओं), आपदा प्रबन्धन, नवाचार के प्राकृतिक प्रबन्धन संसाधन (पानी, स्ट्रीटलाईट, बुनियादी संरचना) इत्यादि में अतिविशिष्ट/अच्छा काम किये गये हो के आधार पर नामांकन हेतु (उक्त 8 विषयगत) प्रत्येक विषय 20 अंकों वाली पंचायतीराज मंत्रालय की वेब—पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध प्रश्नावलियों को दिनांक 10.11.2015 तक भरने के निर्देश जारी किये गये है।

अतः शासन के शासनादेश संख्याः—2931/33—3/2015—153/2015 दिनांकः 30.10.2015 की छायाप्रति संलग्नकर अनुरोध है कि राजीव गॉधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार वर्ष 2015—16 हेतु पंचायती राज की

ऑन लाइन वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तथा जिला पंचायत की प्रश्नावलियों को भर कर शासन के शासनादेश संख्याः–2931 / 33–3 / 2015–153 / 2015 दिनांकः 30.10.2015 निर्देशानुसार दिनांकः 10.11.2015 तक ऑन लाइन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।
शासन का कार्यालय ज्ञाप दि० 30-10-15 (DISTT. PPAC)
सं० -2931 (1) / 33-3-2015-153 / 2015 दि० 30-10-15

भवदीय

30.10.15

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक।

संख्याः–4 / 2455 / 1 / 2015–4 / 440 / 2015–16 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– डा0 दविजेन्दर कुमार शर्मा संयुक्त सचिव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार 11वी मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिग, 25 के0जी0 मार्ग नई दिल्ली (पिन कोड न0: 110001) के पत्र संख्या एन0–11019 / 811 / 2015– प्लानिंग दिनांक 04.09.2015 के क्रम में।
2– प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग–(3) उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः–2931 / 33–3 / 2015–153 / 2015 दिनांकः 30.10.2015 ।
3– प्रमुख सचिव / सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव / सचिव, प्राथमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन।
5– आयुक्त ग्राम्य विकास 10 वां तल जवाहर भवन लखनऊ।
6– निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0।
7– महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब लखनऊ।
8– उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्टक सूर्यदीप कम्पलैक्स लखनऊ को इस आशय से प्रेषित व अपने अधिनस्थ जनपदों के अपर मुख्य अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को अवगत कराये।
9– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित व अपने अधिनस्थ जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को अवगत कराये।
10– समस्त सहायक विकास अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी (समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से को इस निर्देश के साथ प्रेषित की व उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत आनॅलाइन प्रश्नावलियॉ भर फीज करे तथा कृत कार्यवाही से सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी / निदेशक पंचायती राज उ0प्र0 को अवगत कराये।
11– प्रमुख सचिव पचांयतीराज उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2999 / 33–1–2012–191 जी0आई0 / 11 दिनांक 30 सितम्बर, 2011 द्वारा नामित चार प्रधान, दो प्रमुख तथा एक अध्यक्ष जिला पंचायत एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर शासकीय संगठन केप्रतिनिधियों को सूचनार्थ।

संलग्न शासनादेश दिनांक 30.10.2015

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक।

g/suraj sir/15-10-2015/process 15-10-2015

4/2455/2015

संख्याः 2931/33–3–2015–153/2015

प्रेषक,

चचंल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
(3) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
(4) समस्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायतें, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

विषयः–राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार वर्ष 2015–16 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, 11 वी मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0 जी0 मार्ग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः–एन0–11019/811/ 2015–प्लानिंग, दिनांक 04.09.2015 द्वारा राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, 2015–16 हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतो के वर्ष 2014–15 के उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर नामांकन करने हेतु 100 अंकों वाली प्रश्नावलियॉं व इसके अतिरिक्त जिन पंचायतों द्वारा वर्ष 2014–15 में किसी एक विषय जैसे साफ–सफाई, नागरिक सेवाये, राजस्व को बढ़ावा, सामाजिक क्षेत्र में प्रदर्शन (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/महिलाओं), आपदा प्रबन्धन, नवाचार के प्राकृतिक प्रबन्धन संसाधन (पानी, स्ट्रीटलाईट, बुनियादी संरचना) इत्यादि में अतिविशिष्ट/अच्छा काम किये गये हो के आधार पर नामांकन हेतु (उक्त 8 विषयगत) प्रत्येक विषय 20 अंकों वाली प्रश्नावलियॉं पंचायतीराज मंत्रालय की वेब–साइट (www.panchayataward.gov.in) पर इस आशय से उपलब्ध करायी गयी है कि पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (वर्ष 2015–16) हेतु जिन ग्राम पंचायतो, क्षेत्र पंचायतो एवं जिला पंचायतो ने वर्ष 2014–15 में उत्कृष्ट कार्य किया हो वह ऑन–लाइन प्रश्नावलियॉं भर कर नामांकन करेगी तथा विषयगत पुरस्कार हेतु जिन ग्राम पंचायतों ने 8 विषयों मे से किसी एक विषय में अतिविशिष्ट कार्य किया हो, वह ऑन–लाइन प्रश्नावलियॉं भर कर नामांकन करेगी। इस प्रकार ऑन लाइन भरी हुई प्रश्नावलियों के परीक्षण एवं सत्यापनोपरान्त, स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमन्ट कमेटी अंको के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 26 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का प्रस्ताव, भारत सरकार को 30.11.2015 तक ऑन–लाइन उपलब्ध करायेगी। भारत सरकार उक्त पंचायतों का सत्यापन कराने के उपरान्त 24 अप्रैल, 2016 को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हेतु कुल चयनित पंचायतों में से एक तिहाई पंचायतो को विषयगत पुरस्कार से सम्मानित करेगी।

1948-4
30/10/15
(राकेश चतुर्वेदी)
उप निदेशक (पंचायत)

Jaigovind Pandey

2. योजना का उद्देश्य है पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रुप में विकसित किये जाने हेतु/अधिनियम एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु/अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित/पुरस्कृत किया जाना।

3. इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के वर्ष 2014-15 के कार्यो के मूल्यांकन हेतु पंचायतीराज मंत्रालय की वेब-साइट (www.panchayataward.gov.in) से प्राप्त 100 अंक निर्धारण अंग्रेजी वाली प्रश्नावलियॉ तथा उपर्युक्त विषयगत पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायत के वर्ष 2014-15 के 8 विषयगत कार्यो के मूल्यांकन हेतु प्रत्येक विषयगत 20 अंक निर्धारण अंग्रेजी वाली प्रश्नावलियों का हिन्दी में अनुवाद कर उक्त हिन्दी वाली प्रश्नावलियॉ पंचायतीराज की वेब-पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी/जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी के प्रयोगार्थ उपलब्ध करायी जायेगी जो कि वे अपनी लाग-इन आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से उक्त पंचायतो की प्रश्नावलियो मे दिये गये प्रश्नो को देखकर साक्ष्यो के आधार पर उत्तर भरेगें/संस्तुति/प्रश्नावलियॉ फ्रीज करेगें।

4. **इस निमित्त पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (विषयगत पुरस्कार) वर्ष 2015-16 की प्रश्नावलियॉ ऑन-लाइन निम्नलिखित प्रकार से भरी जायेगी:-**

(i). पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार वर्ष 2015-16 हेतु सभी त्रिस्तरीय पंचायतें प्राप्त प्रश्नावलियों को ऑन-लाइन अपने स्तर से भरकर फ्रीज कर जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को अग्रसरित करेगी। जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) अनुमोदित प्रश्नावलियॉ राज्य स्तर पर गठित स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को अग्रसरित कर फ्रीज करेगी। यह कार्य वेब-पोर्टल www.panchayataward.gov.in के माध्यम से किया जायेगा। सचिव ग्राम पंचायत/खण्ड विकास अधिकारी की युजर आईडी और पासवर्ड सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी को तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत की आईडी और पासवर्ड उनके ई-मेल पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

(ii). **ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में**-पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हेतु पंचायत राज की वेब-पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर तथा विषयगत पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायत की 8 विषयगत प्रश्नो वाली प्रश्नावलियों में से किसी एक विषयगत 20 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सहायक विकास अधिकारी की देखरेख में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑन-लाइन भर कर फ्रीज की जायेगी। प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उत्तरालेखन के साक्ष्यो की जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत की होगी। इस प्रकार फ्रीज

Jaigovind Pandey

की गयी प्रश्नावलियाँ जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को परिक्षण हेतु ऑन–लाइन उपलब्ध हो जायेगी। जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा प्रश्नावलियों का परिक्षण/अनुमोदन कर, अनुमोदित प्रश्नावलियाँ स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को ऑन–लाइन फ्रीज की जायेगी।

(iii) **क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में**–पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध क्षेत्र पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी(पं0)/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लाक प्रमुख की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ऑन–लाइन भर कर प्रश्नावलियाँ फ्रीज की जायेगी। प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उत्तरालेखन के साक्ष्यों की जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की होगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियाँ जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को परिक्षण हेतु ऑन–लाइन उपलब्ध हो जायेगी। जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा प्रश्नावलियों का अनुमोदन कर, अनुमोदित प्रश्नावलियाँ स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को ऑन–लाइन फ्रीज की जायेगी।

(iv) **जिला पंचायत के सम्बन्ध में**–पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध जिला पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत अध्यक्ष की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ऑन–लाइन भर कर प्रश्नावलियाँ फ्रीज की जायेगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियाँ स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को ऑन–लाइन उपलब्ध हो जायेगी।

5. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत की सामान्य बैठक में योजना की जानकारी को पढ़कर सुनाने हेतु समस्त जनपदो के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डो की संख्या के अनुसार समस्त जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारियों को नमूने के तौर पर मुद्रित पुस्तक उपलब्ध करायी जायेगी एवं समस्त जनपदो की जिला पंचायत की सामान्य बैठको में योजना की जानकारी को पढ़कर सुनाये जाने हेतु समस्त अपर मुख्य अधिकारी उ0प्र0 को उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से नमूने के तौर पर मुद्रित पुस्तक उपलब्ध करायी जायेगी।

6. उपरोक्त योजना की ऑन–लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर समस्त जिला परियोजना समन्वयको/जिला परियोजना प्रबन्धकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जो अपने जनपद के सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों/अपर मुख्य अधिकारी को प्रशिक्षण देगें। प्रशिक्षण का समय/दिनांक/स्थान निश्चित कर इन अधिकारियों को ट्रेनिंग में भाग लेने हेतु

Jaigovind Pandey

समस्त जनपदों के संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा निर्देश निर्गत कर प्रशिक्षण कराया जायेगा। जनपद के सम्बधित जिला परियोजना समन्वयक/जिला परियोजना प्रबन्धक प्रश्नावलियाँ भरने में ग्राम पंचायत अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों/अपर मुख्य अधिकारी की सहायता भी करेंगे। इस निमित्त सम्बन्धित जनपदों के ग्राम पंचायत अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारियों को युजर आईडी और पासवर्ड भी जारी किये जायेंगे। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतो के वर्ष 2014-15 के उत्कृष्ट कार्यो के आधार पर नामांकन करने हेतु 100 अंकों वाली प्रश्नावलियाँ तथा इसके अतिरिक्त जिन ग्राम पंचायतो ने अतिविशिष्ट/अच्छा काम किये हो, के आधार पर नामांकन करने हेतु 20 अंकों वाली प्रश्नावलियाँ निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत भरी जायेगी (समय सारणी साथ में संलग्न)। प्रश्नावालियों को भरकर दिनांक 10 नवम्बर, 2015 तक पंचायतीराज की वेब-पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध कराना होगा।

7. जनपदो व विकास खण्डो से समयान्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की ऑन-लाइन सर्वोत्कृष्ट अंक वाली प्रश्नावलियों को, अंको के अवरोही क्रम मे
करने हेतु निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 के निर्देशानुसार निदेशालय स्तर पर निम्नवत गठित कमेटी द्वारा किया जायेगाः-

(1) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(पं0) पंचायती राज उ0प्र0।
(2) एक प्रशासनिक अधिकारी/खण्डाध्यक्ष पंचायती राज उ0प्र0।
(3) दो कन्सलटेन्ट (आर0जी0पी0एस0ए0) पंचायती राज उ0प्र0।

उक्त कमेटी के परिक्षणोपरान्त अंकों के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 06 जिला पंचायतों, 12 क्षेत्र पंचायतों व 78 ग्राम पंचायतों की सूची तैयार की जायेगी, तथा पंचायतो का स्थलीय सत्यापन कराने के लिए निदेशालय स्तर पर सत्यापन दल का गठन का प्रस्ताव तैयार कर स्टेट पंचायत परफारमेंस अरोसमेन्ट कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु सत्यापन दल को निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। उक्त पंचायतों का सत्यापन दल द्वारा सत्यापन किया जायेगा और सत्यापनोपरान्त सत्यापन दल 06 जिला पंचायतों, 12 क्षेत्र पंचायतों व 78 ग्राम पंचायतों की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को प्रस्तुत करेगी।

8. सत्यापन दल की प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट का निदेशालय स्तर पर परिक्षण कर, पंचायतों की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अंको के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 26 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतो व 02 जिला पंचायतो का प्रस्ताव स्टेट पंचायत परफॉर्मेन्स असेसमेन्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करा जायेगा। तत्पश्चात स्टेट पंचायत परफारमेंस असेसमेन्ट कमेटी 26 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतो व 02 जिला पंचायतो का अनुमोदन कर प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 30.11.2015 तक ऑन-लाइन उपलब्ध कराया जायेगा।

9. चयनित 32 पंचायतो का भारत सरकार द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त सूचना सही पाये जाने पर भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल, 2016 को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हेतु कुल चयनित पंचायतों में से एक तिहाई पंचायतो को विषयगत पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

Jaigovind Pandey

10. इस प्रकार भारत सरकार के उपर्युक्त निर्देशों के दृष्टिगत शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञापन संख्या–2082/33–1/2011–191जी0आई0/2011 दिनांक 22.07.2011 को इस सीमा तक अवक्रमित किया जाता है।

योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रशासनिक धनराशि को विभिन्न मदो मे भारत सरकार के मार्गनिर्देशानुसार निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर व्यय किया जायेगा। समयान्तर्गत उक्त प्रक्रिया पूर्ण कर जिन जनपदों द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत की भरी हुई प्रश्नावलियॉ ऑन–लाइन सबसे अधिक संख्या में प्राप्त करायी जायेगी। उन 05 जिलाधिकारियों, 05 मुख्य विकास अधिकारियों, 05 जिला पंचायत राज अधिकारियों को मानदेय स्वरूप धनराशि से पुरस्कृत भी किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की पंचायतीराज वेबसाइड (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध प्रश्नावलियों को दिनांक 10 नवम्बर, 2015 तक ऑन–लाइन भर कर उपलब्ध कराने हेतु
अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सलग्नक–उक्तानुसार। भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव,

संख्याः– /33–3–2015–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– डा0 दविजेन्दर कुमार शर्मा संयुक्त सचिव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार 11वी मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0 मार्ग नई दिल्ली (पिन कोड न0: 110001) के पत्र संख्या एन0–11019/811/2015– प्लानिंग दिनाक 04.09.2015 के क्रम में।

2– प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।

3– प्रमुख सचिव/सचिव, प्राथमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन।

4– आयुक्त ग्राम्य विकास 10 वां तल जवाहर भवन लखनऊ।

5– निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।

6– महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब लखनऊ।

7– उपनिदेशक जिला पचायत अनुश्रवण कोष्टक सूर्यदीप कम्पलेक्स लखनऊ को इस आशय से प्रेषित व अपने अधिनस्थ जनपदों के अपर मुख्य अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को अवगत कराये।

8– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित व अपने अधिनस्थ जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को अवगत कराये।

आज्ञा से,

(शिवराम)
संयुक्त सचिव।

Jaigovind Pandey

शासन के पत्र संख्याः–4 / 2455 / 2015–4 / 440 / 2015–16 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 का संलग्नक पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार (विषयगत पुरस्कार) 2015–16 के परिवेक्षण एवं विभिन्न कार्यकलापों की समय सारिणी।

क्रम सं0	गतिविधि	दिनांक
1	**ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में**–पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायत राज की वेब– पोर्टल (www.panchayat award.gov.in) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर व विषयगत पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायत की 20 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) की देखरेख में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑन–लाइन भरकर फ्रीज किया जायेगा।	दिनांक 07–11–2015 तक
	इस प्रकार फ्रीज की गई प्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर गठित अध्यक्ष / जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा परीक्षण / अनुमोदन कर ऑन–लाइन राज्य स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को फ्रीज की जायेगी।	दिनांक 10–11–2015 तक
2	**क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में**–पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब– पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध क्षेत्र पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी(पं0) / खण्ड विकास अधिकारी / ब्लाक प्रमुख की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ऑन–लाइन भरकर प्रश्नावलियाँ फ्रीज की जायेगी।	दिनांक 07–11–2015 तक
	इस प्रकार फ्रीज की गई प्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर गठित अध्यक्ष / जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा परीक्षण / अनुमोदन कर ऑन–लाइन राज्य स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को फ्रीज की जायेगी।	दिनांक 10–11–2015 तक
3	**जिला पंचायत के सम्बन्ध में**–पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब– पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध जिला पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी / जिला पंचायत, अध्यक्ष की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर जनपद के सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ऑन–लाइन भरकर प्रश्नावलियाँ राज्य स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को फ्रीज की जायेगी।	दिनांक 10–11–2015 तक
4	निदेशालय स्तर पर जनपदों से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की प्राप्तांकों के आधार पर प्राप्त सर्वोत्कृष्ट अंक वाली प्रश्नावलियों को अंकों के अवरोही क्रम में कर 06 जिला पंचायत, 12 क्षेत्र पंचायत और 78 ग्राम पंचायतों की सूची निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा तैयार की जायेगी एवं सत्यापन दल गठित कर उक्त पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराने के लिए स्टेट पंचायत परफारमेन्स कमेटी / अध्यक्ष प्रमुख सचिव पंचायतीराज उ0प्र0 शासन से अनुमोदन लिया जायेगा।	दिनांक 12–11–2015 तक
5	राज्य स्तर से नियुक्त / नामित सत्यापन दल को उक्त पंचायतों के स्थलीय सत्यापन की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर कन्सलटेन्ट (RGPSA) पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।	दिनांक 15–11–2015 तक
6	राज्य स्तर से नियुक्त / नामित सत्यापन दल द्वारा 06 जिला पंचायत, 12 क्षेत्र पंचायत और 78 ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कर निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के समक्ष सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा।	दिनांक 30–11–2015 तक
7	सत्यापन दल की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली अंको के अवरोही क्रम में 26 ग्राम पंचायतो, 04 क्षेत्र पंचायतो तथा 02 जिला पंचायतो की सूची निदेशालय द्वारा तैयार कर स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी की बैठक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।	दिनांक 04–12–2015 तक
8	स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) द्वारा चयनित 26 ग्राम पंचायत, 04 क्षेत्र पंचायत तथा 02 जिला पंचायत के प्रस्ताव को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।	दिनांक 07–12–2015 तक

4/2458/15

4/2458/15

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग-3
संख्या:-2931/33-3-2015-153/2015
लखनऊ: दिनांक: 30 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु मार्ग निर्देशिका के बिन्दु 5.3.1 में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में राज्य, मण्डल तथा जनपद स्तर पर पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को गठन विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या:-2082(1) /33-1-2011-191जी0आई0/11 दिनाक 22.07.2011 को अवक्रमित करते हुए पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु अतिरिक्त मार्ग निर्देशिका के बिन्दु 2.3 में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में राज्य स्तर पर पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC)-

1	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, प्राथमिक शिक्षा अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
5	आयुक्त ग्राम्य विकास अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
6	विशेष सचिव, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन।	सदस्य
7	निदेशक, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य
8	अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0।	सदस्य संयोजक
9	कंसलटेन्ट (RGPSA) पंचायती राज उ0प्र0।	सदस्य
10	उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य
11	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित चार प्रधान, दो प्रमुख तथा एक अध्यक्ष जिला पंचायत एवं पंचायतीराज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर शासकीय संगठन का प्रतिनिधि।	सदस्य

जनपद स्तरीय स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC)-

1	जिलाधिकारी।	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी।	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायत राज अधिकारी।	सदस्य सचिव
4	जिला विकास अधिकारी।	सदस्य
5	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।	सदस्य

2- पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु समिति के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे:-

(1) प्रश्नावली सूचकांक एवं कार्य के अंकन का निर्धारण।
(2) समय-समय पर सूचकांक प्रश्नावली तथा अंक दिये जाने पर पुनर्विचार किया जाना।
(3) जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पुरस्कृत किए जाने वाली पंचायतों की संख्या का निर्धारण।
(4) पंचायतों की कार्य एवं उपलब्धि का मूल्यांकन।
(5) चयनित पंचायतों की उपलब्धियों के सत्यापन हेतु सर्वेक्षण/निरीक्षण दलों का गठन।

2805-4
30/10/15
(राकेश [illegible])
उप निदेशक (पंचायत)

(6) योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत की जाने वाली जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों का चयन।

(7) अन्य समिति के अध्यक्ष द्वारा लिए गये निर्णयानुसार।

उक्त कार्यालय ज्ञाप इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2931/33-3-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सुश्री रश्मि शुक्ला शर्मा, अपर सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।

(2) समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

(3) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, विभाग, उ0प्र0 शासन।

(5) समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) पंचायती राज उ0प्र0।

(6) समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ0प्र0।

(7) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी पंचायती राज उ0प्र0।

(8) समस्त उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा उ0प्र0।

(9) समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के प्राचार्य।

(10) समस्त अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा उ0प्र0।

(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराम)
संयुक्त सचिव।